न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
सीगा रैफरेंस अन्तर्गत धारा 3जी(5)राष्ट्रीय उच्च राजमार्ग
प्रकरण संख्या 10/2017

धीरज सिंगला पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंगला जाति अग्रवाल निवासी 79 जी ब्लॉक श्रीगंगानगर

बनाम

1. **सक्षम प्राधिकारी** एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी (एन.एच.) अतिरिक्त जिला कलैक्टर, सूरतगढ़
2. **प्रोजैक्ट डायरेक्टर, अधीक्षण अभियंता (एन.एच.),** सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत बीकानेर (राजस्थान)
3. **भारत संघ,** जरिये सचिव सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

05.03.2024

पत्रावली पेश हुई। मानीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 11.08.2023 से निर्णय की सत्यापित प्रति प्राप्त होने के छः माह में निर्णय पारित करने हेतु आदेशित किया गया था, परन्तु अधिवक्तागण द्वारा न्यायालय कार्य स्थगित किये जाने के कारण वे न्यायालय में उपस्थित नहीं आये। इसलिए निर्णय पारित करने में कुछ दिनों की देरी हुई है। आज प्रार्थी के अधिवक्ता श्री दिनेश छाबड़ा एवं राजकीय अधिवक्ता श्री जसवीर सिंह मिशन उपस्थित हुए। उभयपक्ष को सुना गया।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 (सूरतगढ–श्रीगंगानगर सैक्शन) के किमी. 173/000 से 248/650 किमी तक के सैक्शन में सडक चौड़ी करने हेतु भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की गयी। भूमि अवाप्ति की कार्यवाही के दौरान प्रार्थी की भूमि चक 11 एलएनपी के मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 6 में 0.064 है. एवं किला नम्बर 7 में 0.083 है. कुल 0.147 है. भूमि [illegible] थी।

उनका आगे यह भी कथन है कि अति. जिला कलक्टर सूरतगढ़ ने दिनांक 10.02.2016 को अवाप्ताधीन भूमि का मुआवजा [illegible]89,95108/– रूपये निर्धारित करते हुए अवार्ड जारी किया गया था। [illegible]ांक 26.09.2016

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.03.18 16:40:04 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

को अधिशाषी अभियन्ता, सानिवि, राउमा, खंड बीकानेर द्वारा राष्ट्रीय उच्च मार्ग अधिनियम की धारा 3जी(5) के अन्तर्गत पारित अवार्ड दिनांक 10.02.2016 से असहमति व्यक्त करते हुए जिला कलक्टर एवं आर्बिट्रेटर, श्रीगंगानगर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा गया था। माननीय जिला कलक्टर एवं आर्बिट्रेटर द्वारा दिनांक 05.10.2016 को निर्णय पारित करते हुए, अति. जिला कलक्टर एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी, सूरतगढ़ को पारित अवार्ड दिनांक 10.02.2016 में वर्णित बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए संशोधित कर, पुनः अवार्ड पारित करने के आदेश दिये गये थे।

उनका आगे यह भी कथन है कि माननीय जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा उक्त आदेश पारित करने के उपरान्त सक्षम अधिकारी (एन.एच.) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ द्वारा आर्बिट्रेटर के निर्णय दिनांक 05.10.2016 में वर्णित दिशा निर्देशों की अनुपालना करते हुए पुनः अवार्ड दिनांक 22.12.2016 को 194.56 करोड़ पारित किया गया। अवार्ड दिनांक 22.12.2016 पारित होने के उपरानत बिना उक्त अवार्ड के अनुमोदन अथवा इस अवार्ड को आर्बिट्रटर के यहां चुनौती दिये, भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ द्वारा दिनांक 27.03.2017 को पुनः एक अवार्ड निर्णय दिनांक 05.10.2016 में दिये गये निर्देशों की पालना में जारी कर दिया गया।

उनका आगे यह भी कथन है कि अवार्ड दिनांक 27.03.2017 से पुनः असन्तुष्ट होकर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा माननीय जिला कलक्टर एवं आर्बिट्रेटर, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रकरण संख्या 01/2017 अन्तर्गत धारा 3जी(5) राष्ट्रीय उच्च मार्ग अधिनियम के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें माननीय जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 28.08.2017 को निर्णय पारित कर दिशा निर्दे[illegible] किये गये। जिला कलक्टर एवं आर्बिट्रेटर, श्रीगं[illegible] उपरान्त दिनांक 01.09.2017 को समस्त तथ्यों को नजर अन्दाज करते हुए अवार्ड जारी किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.03.18 16:40:04 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि सक्षम प्राधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी, सूरतगढ द्वारा राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 62 के विस्तार हेतु अधिग्रहण की गयी भूमि में प्रार्थी की वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भूमि चक 11 एलएनपी, तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 6 व 7 में अवाप्त की गयी, लेकिन अवार्ड दिनांक 01.09.2017 में प्रार्थी की अधिग्रहित की गयी उक्त भूमि तहसील श्रीगंगानगर की नहरी भूमि मानते हुए निर्धारित की गई है जबकि प्रार्थी की ओर से विधिवत् भूमि रूपान्तरण नियमों के तहत संपरिवर्तन की कार्यवाही कर माननीय जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 01.08.2013 की पालना में दिनांक 16.08.2013 को 85,000/– रूपये राजकोष में जमा करवा दिये थे एवं संपरिवर्ततन का औपचारिक आदेश जारी किया जाना शेष था, जो संपरिवर्ततन का आदेश जारी करने वाले अधिकारी की जिम्मेवारी थी। प्रार्थी की भूमि को वाणिज्यिक के स्थान पर नहरी मानकर मुआवजा राशि का न्यूनतम अवार्ड जारी किया गया है, जिससे प्रार्थी असन्तुष्ट है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी का दायित्व समस्त औपचारिकताऐं संपरिवर्तन के सम्बन्ध में पूर्ण कर राशि जमा करवाने का था, वह प्रार्थी की ओर से करवाया जा चुका है एवं कोई बाधा शेष नहीं थी ऐसी स्थिति में प्रार्थी की भूमि स्वतः की एवं वास्तव में वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित हो चुकी थी इसलिए प्रार्थी वाणिज्यिक दर से मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी द्वारा अधिग्रहण की कार्यवाही में प्रत्येक स्तर पर एवं प्रत्येक अधिकारी के समक्ष अपना क्लेम भूमि के वाणिज्यिक होना कथन कर ही प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी कि अधिग्रहित की जा रही भूमि का मुआवजा निर्धारण वाणिज्यिक दर से की जाकर मुआवजा राशि का निर्धारण किया जावे लेकिन अवार्ड दिनांक 01.09.2017 जारी करते समय इसे ध्यान में नहीं रखा गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.03.18 16:40:04 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम एवं राईट टू फेयर कम्पनसैशन एक्ट के प्रावधानों एवं मंशा के प्रतिकूल बाजार भाव का बिना किसी आधार पर एवं मनमाफिक भूमि का भाव आरोपित कर अवार्ड दिनांक 01.09.2017 पारित किया गया है जो उपलब्ध रिकॉर्ड के प्रतिकूल एवं असमानता के आधार पर पारित हुआ होने के कारण तथा प्रार्थी की भूमि के सम्बन्ध में वाणिज्यिक ना मानकर नहरी मानकर पारित हुआ होने अपास्त किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अवार्ड दिनांक 01.09.2017 पारित करने के उपरान्त प्रार्थी की ओर से दिनांक 01.09.2017, 06.09.2017 एवं दिनांक 25.10.2017 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अन्य काश्तकार के साथ संयुक्त रूप से यह निर्णय पारित करते हुए दिनांक 21.11.2017 को अनावेदक द्वारा आदेश दिया कि भूमि रूपान्तरण आदेश प्रस्तुत नहीं किया है एवं रिकॉर्ड में दर्ज प्रकृति के अनुरूप मुआवजा का निर्धारण किया गया है, इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि आदेश दिनांक 21.11.2017 प्रार्थी की हद तक पारित अवार्ड दिनांक 01.09.2017 के सम्बन्ध में पारित किया एंव अवार्ड दिनांक 01.09.2017 से प्रार्थी असन्तुष्ट है इसलिए अवार्ड से असन्तुष्ट होने के कारण प्रार्थी धारा 3जी(5) राष्ट्रीय उच्च मार्ग अधिनियम के अन्तर्गत माननीय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकारी है।

उनका **आगे यह भी कथन है कि** अवार्ड दिनांक 01.09.2017 राष्ट्रीय उच्च मार्ग अधिनियम एवं राईट टू फेयर कम्पनसैशन एक्ट के प्रावधानों एवं मंशा के प्रतिकूल होने के कारण तथा प्रार्थी की [वा]णिज्यिक रूपान्तरित होने एवं वास्तव में संपरिवर्तित [...] मुआवजा राशि का निर्धारण न होने के कारण अवार्ड अपास्त किया जावे एवं प्रार्थी की अधिग्रहित की जा रही भूमि के सम्बन्ध में वाणिज्यिक दर से मुआवजा राशि का निर्धारण कर अवार्ड जारी करने के निर्देश दिये जाकर प्रार्थी को अन्डर

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.03.18 16:40:04 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

प्रोटेस्ट मुआवजा राशि का चैक दिये जाने के निर्देश दिये जाने की प्रार्थना की है।

इसके विपरीत राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया है कि आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा उपरोक्त प्रकरण में दिनांक 28.08.2017 को निर्णय किया गया था, जिसकी पालना में सक्षम प्राधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ द्वारा दिनांक 01.09.2017 को अवार्ड पारित कर दिया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेशों को पुनः समीक्षा करने का अधिकार नही है न ही काई प्रावधान नहीं है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि निर्णय दिनांक 28.08.2017 व पारित अवार्ड पांच अन्य काश्तकारों/पक्षकारों (2/17, 3/17, 4/17, 5/17, 6/17) द्वारा पेश की गयी आपत्तियों की सुनवाई करते हुए दिया गया था। यदि पक्षकारों को माननीय न्यायालय द्वारा पारित अवार्ड के विरूद्ध कोई कोई आपत्ति है तो माननीय जिला न्यायालय के समक्ष मध्यस्थता अधिनियम के तहत धारा 3जी(5) के तहत कार्यवाही कर सकते है। माननीय आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर न्यायालय मूल अवार्ड दिनांक 28.08.2017 पारित करने के पश्चात, उसके द्वारा दिये गऐ निर्देशों की पालना में ही सक्षम प्राधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ़ ने दिनांक 01.09.2017 को आदेश पारित किया गया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि इन पक्षकारों के अलावा अन्य पक्षकारों ने माननीय आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर एवं सक्षम प्राधिकारी व भूमि अवाप्ति अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपर जिला न्यायालय प्रथम, श्रीगंगानगर में मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत प्रकरण दायर कर रखें है, जिसमें सुनवाई विचाराधीन है। जिसमें पक्षकार अधिवक्ता द्वारा अन्य प्रकरणों

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.03.18 16:40:04 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

में इस न्यायालय के अवार्ड दिनांक 28.08.2017 के विरूद्ध माननीय जिला न्यायालय में धारा 34 के तहत प्रकरण पेश किये हुए है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी को अपने प्रकरण हेतु माननीय जिला न्यायाधीश के समक्ष मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत कार्यवाही करनी चाहिए। प्रार्थी द्वारा माननीय आर्बीट्रेटर एवं जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर न्यायालय के समक्ष उन्हीं बिन्दुओं को उठाया गया है जिन पर पूर्व में निर्णय दिया जा चुका है। इसलिए यदि निर्णय दिनांक 28.08.2017 में बदलाव होता है तो पक्षकारों को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी जिस भूमि को वाणिज्यक उद्देश्य में परिवर्तन के आधार पर मुआवजा चाहता है, उक्त कृषि भूमि सक्षम प्राधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ़ की रिपोर्ट दिनांक 18.07.2018 के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में सपंरिवर्तन नहीं है। इसलिए श्रीमान्जी द्वारा जारी अवार्ड दिनांक 28.08.2017 की पालना में सक्षम प्राधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ़ द्वारा दिनांक 01.09.2017 जारी किया गया आदेश सही है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी ने अपनी पैटीशन में दिनांक 22.12.2016 के ड्राफ्ट अवार्ड का हवाला दिया है, उसके सम्बन्ध में इस न्यायालय के मूल प्रकरण संख्या 01/2017 स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम कम्पनी अथोरिटी, लैण्ड एक्यूजिशन (एन.एच.) और अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ़ वगै. में पारित आदेश दिनांक 26.07.2017 की प्रति पेश करते हुए कथन किया गया कि दिनांक 22.12.2016 के ड्राफ्ट अवार्ड आदेश के सम्बन्ध इस न्यायालय द्वारा दिनांक 26.07.2017 को आदेश दिया जा चुका है, जो पृष्ठ संख्या 13 व 14 पर उपलब्ध है। यदि प्रार्थी को इस आदेश से आपत्ति थी तो सक्षम न्यायालय में विधिवत् समयावधि में कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र था। दिनांक 22.12.2016 के ड्राफ्ट अवार्ड के सम्बन्ध में इस न्यायालय का आदेश दिनांक 26.07.2017 अंतिम हो चुका है, जिसके आधार पर प्रार्थी कोई राहत प्राप्त नहीं कर सकता।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.03.18 16:40:04 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि आर्बीट्रेटर एवं जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के समक्ष दिनांक 01.05.2017 को आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसमें सभी 153 अनावेदकों को नोटिस जारी किये गये थे जिसमें प्रार्थी का नाम क्रम संख्या 97 पर अंकित था। प्रार्थी धीरज सिंगल द्वारा इस न्यायालय आदेश दिनांक 27.03.2017 के विरूद्ध 3जी(5) के तहत कोई प्रकरण पेश नहीं किया गया था। उक्त प्रकरण में समस्त 153 खातेदारों की सुनवाई के पश्चात ही दिनांक 28.08.2017 के निर्णय अनुसार पारित अवार्ड दिनांक 01.09.2017 के अनुसार भुगतान कर दिया गया है। इस न्यायालय को सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.09.2017 के विरूद्ध सुनवाई का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है क्योंकि यह आदेश श्रीमान्जी द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 28.08.2017 के निर्देशों में जारी किया गया था। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण खारिज किये जाने योग्य है।

अतः **सर्वप्रथम इस न्यायालय को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अन्तर्गत सुनवाई करने का कोई विधिक** क्षेत्राधिकार **है अथवा नहीं? अगर यह पाया जाता कि इस न्यायालय सुनवाई करने का कोई विधिक क्षेत्राधिकार है तो ही गुणदोष के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जायेगा।**

मैनें, उभयपक्ष की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा प्रकरण संख्या 10414/2023 में पारित आदेश दिनांक 11.08.2023 का अवलोकन किया जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों के तहत निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया गया है। [illegible] से उपस्थित अधिकवक्ता की ओर प्रस्तुत न्यायिक [illegible] न्यायालय की **सिविल अपील संख्या 8067/2019** [illegible] **UDRAM v/s State of Karnataka & anothers** का भी अवलोकन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.03.18 16:40:04 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने इस न्यायालय के आदेश दिनांक 28.08.2017 की पालना में सक्षम प्राधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ़ द्वारा जारी अवार्ड दिनांक 01.09.2017 के विरूद्ध यह प्रकरण पेश कर प्रार्थना की है कि उसकी वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमि चक 11 एलएनपी तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 6 व 7 में अवाप्त की गयी थी, जिसमें प्रार्थी की भूमि को वाणिज्यिक के स्थान पर नहरी मानकर मुआवजा राशि अवार्ड जारी किया गया है। जबकि **आर्बीट्रेटर एवं जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर ने अपने अवार्ड दिनांक 28.08.2017(पेज संख्या 24) से चक 11 एलएनपी (जहां प्रार्थी की अवाप्त की गई भूमि स्थित है) हेतु निम्नानुसार आदेश जारी किया गया था:**

> <u>चक 11 एल एन पी</u>
>
> इस क्षेत्र में पक्षकार संख्या 92 से 99 की भूमि आती है। उपपंजीयक श्रीगंगानगर की दर अनुसार चक 11 एल.एन.पी. की दरें नहरी 684366 प्रति हैक्टेयर तथा औधोगिक की 950 रूपये प्रति वर्ग मीटर है। ये दरें पूरे चक की एकसार है
>
> तथा उपपंजीयक गंगानगर द्वारा वे समस्त भूमियां जो किसी भी जोन में नहीं आती,उनके लिये वाणिज्यिक दरें 1012 रूपये प्रति वर्गमीटर निर्धारित की गई है। परन्तु विचाराधीन भूमि विशिष्ट निर्दिष्ट जोन में आती है तथा इसके लिये विशेष पंजीयन जोन बना रखें हैं और इन्हीं दरों पर पंजीयन किये जाते हैं। इस क्षेत्र के लिये उप पंजीयक श्रीगंगानगर द्वारा सडक के दोनो ओर (जोन 78 अबोहर बाईपास चौराहा से रीको से चिपते एक मुरब्बे तक) किला नः 1 के लिये 3506581 रूपये प्रति हैक्टेयर तथा किला 2 से 5 तक 2337721 रू. प्रति हैक्टेयर दर निर्धारित है। इसी तरह जोन 202 में आवासीय वाणिज्यिक भूखण्ड जो किसी कालोनी में नहीं आते (शहर के लगते चकों) में 3923 रू प्रति वर्ग मीटर की दरें निर्धारित है। **पक्षकारों [illegible] रजिस्ट्रियों पेश की है उनकी भूमि की किस्म वाणिज्यिक [illegible] कृषि है** तथा इस चक से इतर अन्य [illegible] का भी अवलोकन किया गया तथा यह पाया [illegible] कि उक्त दरें अधिसूचना दिनांक 24.01.2014 के पश्चात की है, तथा सिर्फ रिको क्षेत्र के लिए लागु है। अतः रिको की दरे इस अवाप्त भूमि

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.03.18 16:40:04 IST
Reason: SelfAttested

पर लागू नहीं हो सकती। कमेटी की रिपोर्ट अनुसार इस क्षेत्र के लिये अवाप्त भूमि के लिये उपपंजीयक के पंजीयन जोन 78 तथा जोन 202 के अनुसार भूमि किस्म वार ही मुआवजा दिया जाना उचित माना गया है। इस जोन में अवाप्त की जाने वाली भूमियां मुख्य मार्ग पर नहीं आती हैं अतः वाणिज्यिक भूमि के लिए 3923 रूपये प्रति वर्गमीटर तथा इस चक 11 एलएनपी में सबंधित जोन 78 में आने वाली कृषि भूमि के लिये डीएलसी 3506581 रू प्रति हैक्टेयर का दुगुना अर्थात 7013162 रूपये प्रति हैक्टेयर मुआवजा निधारित किये जाने का निर्णय लिया जाता है। पक्षकार संख्या 93 महेन्द्रपाल हुसनलाल की भूमि औधौगिक प्रकृति की है, जिसके लिये कोई विशिष्ट दरें प्राप्त नहीं है, न ही इस तरह का कोई पंजीयन प्रकाश में आया है। अतः कमेटी की रिपोर्ट में की गई अनुशंषा के अनुसार इस औद्यौगिक भूमि के लिये वाणिज्यक भूमि का 60 प्रतिशत मुआवजा 2353 रूपये प्रति वर्गमीटर निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया जाता है।

उक्त **पक्षकार संख्या 92 से 99 की भूमि** हेतु 11 एलएनपी की भूमि आती है जिसमें प्रार्थी धीरज सिंगला का नाम क्रम संख्या 97 पर अंकित है जिससे भी ज्ञात होता है कि अप्रार्थी धीरज सिंगला की अवाप्त की भूमि चक 11 एलएनपी के मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 6 व 7 पर निर्णय दिनांक 28.08.2017 पारित किया गया था और सक्षम प्राधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ को अवार्ड जारी करने हेतु निर्देशित किया गया था। इस **न्यायालय के आदेश दिनांक 28.08.2017 की पालना में सक्षम प्राधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ़ द्वारा दिनांक 01.09.2017 को आदेश पारित किया गया था,** जिसके विरूद्ध प्रार्थी ने यह प्रकरण प्रस्तुत किया है।

प्रार्थी को इस न्यायालय के आदेश दिनांक 28.08.2017 की पालना में सक्षम प्राधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, [illegible] द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 01.09.2017 के विरूद्ध म[illegible] के समक्ष सुलह एवं मध्यस्थता अधिनियम 1996 की धारा 34 के [illegible]त चुनौति दी जानी चाहिए थी, धारा 34 निम्नानुसार अवलोकनीय है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.03.18 16:40:04 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

1. माध्यस्थम् पंचाट के विरुद्ध, न्यायालय का आश्रय केवल उपधारा (2) या उपधारा (3) के अनुसार, ऐसे पंचाट को अपास्त करने के लिये आवेदन करके ही लिया जा सकेगा।
2. कोई माध्यस्थम् पंचाट न्यायालय द्वारा तभी अपास्त किया जा सकेगा, यदि –

(a) आवेदन करने वाला पक्षकार यह सबूत देता है कि–

(i) कोई पक्षकार किसी असमर्थता से ग्रस्त था, या

(ii) माध्यस्थम् करार उस विधि के, जिसके अधीन पक्षकारों ने उसे किया है या इस बारे में कोई संकेत न होने पर, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विधिमान्य नहीं है; या

(iii) आवेदन करने वाले पक्षकार को, मध्यस्थ की नियुक्ति की या माध्यस्थम् कार्यवाहियों की उचित सूचना नहीं दी गई थी, या वह अपना मामला प्रस्तुत करने में अन्यथा असमर्थ था; या

(iv) माध्यस्थम् पंचाट ऐसे विवाद से संबंधित है जो अनुध्यात नहीं किया गया है या माध्यस्थम् के लिये निवेदन करने के लिये रख गए निबंधनों के भीतर नहीं आता है या उसमें ऐसी बातों के बारे में विनिश्चय है जो माध्यस्थम् के लिये निवेदित विषयक्षेत्र से बाहर है :

परंतु यदि, माध्यस्थम् के लिये निवेदित किये गए विषयों पर विनिश्चयों को उन विषयों के बारे में किये गए विनिश्चयों से पृथक् किया जा सकता है, जिन्हें निवेदित नहीं किया गया है, तो माध्यस्थम् पंचाट के केवल उस भाग को, जिसमें माध्यस्थम् के लिये निवेदित न किये गए विषयों पर विनिश्चय है, अपास्त किया जा सकेगा ; या

(अ) माध्यस्थम् अधिकरण की संरचना या माध्यस्थम् प्रक्रिया, पक्षकारों के करार के अनुसार नहीं थी, जब तक कि ऐसा करार इस भाग के उपबंधों के विरोध में न हो और जिससे पक्षकार नहीं हट सकते थे, या ऐसे करार के अभाव में, इस भाग के अनुसार नहीं थी; या

(अ) मध्यस्थम् अधिकरण की संरचना या मध्यस्थम् प्रक्रिया, पक्षकारों के नियम के अनुसार नहीं था, जब तक कि ऐसा अधिकार इस भाग के उपबंधों के विरोध में न हो और पक्षकार नहीं हो सकते थे, या ऐसे नियम के अभाव में, इस भाग के अनुसार नहीं था; या

(इ) न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि–

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.03.18 16:40:04 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

(i) विवाद का विषय–वस्तु, तत्सम प्रवृत्त विधि के अधीन मध्यस्थम् द्वारा निपटाए जाने योग्य नहीं हैं; या

(ii) मध्यस्थम् पंचाट भारत की लोक नीति के विरुद्ध है।

स्पष्टीकरण– उपखंड (ii) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी शंका को दूर करने के लिये यह घोषित किया जाता है कि कोई पंचाट भारत की लोक नीति के विरुद्ध है यदि पंचाट का दिया जाना कपट या भ्रष्ट आचरण द्वारा उत्प्रेरित या प्रभावित किया गया था या धारा 75 अथवा धारा 81 के अतिक्रमण में था।

(3) अपास्त करने के लिये कोई आवेदन, उस तिथि से, जिसको आवेदन करने वाले पक्षकार ने माध्यस्थम् पंचाट प्राप्त किया था, या यदि अनुरोध धारा 33 के अधीन किया गया है तो उस तिथि से, जिसको माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा अनुरोध का निपटारा किया गया था, तीन मास के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगाः

परंतु यह कि जहाँ न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि आवेदक उक्त तीन मास की अवधि के भीतर आवेदन करने से पर्याप्त कारणों से निवारित किया गया था तो वह तीन दिन की अतिरिक्त अवधि में आवेदन ग्रहण कर सकेगा किंतु इसके पश्चात् नहीं।

(4) उपधारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, जहाँ यह समुचित हो और इसके लिये किसी पक्षकार द्वारा अनुरोध किया जाए, वहाँ न्यायालय, माध्यस्थम् अधिकरण को इस बात का अवसर देने के लिये कि वह माध्यस्थम् कार्यवाहियों को चालू रख सके या ऐसी कोई अन्य कार्रवाई कर सके जिससे मध्यस्थम् अधिकरण की राय में मध्यस्थम् पंचाट के अपास्त करने के लिये आधार समाप्त हो जाए, कार्यवाहियों को उतनी अवधि के लिये स्थगित कर सकेगा जो उसके द्वारा अवधारित की जाए।

चूंकि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 धारा 3जी(5) में कोई व्यक्ति 3जी(5) की धारा 1 व 2 में सक्षम अधिकारी द्वारा पारित मुआवजा में निर्धारित राशि से कोई असंतुष्ट है तो वह [illegible] अपना प्रार्थना 3जी(5) के अन्तर्गत पेश कर सकता था। प्रार्थी द्वारा दिनांक 27.03.2017 के सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को चुनौति नहीं की गई है। प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.03.18 16:40:04 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

सहित 153 व्यक्तियों के विरूद्ध प्रोजेक्ट डायरेक्टर (एन.एच.), बीकानेर द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3जी(5) में चुनौति दी गई थी, जिस पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 27.03.2017 के आदेश द्वारा निर्धारित किये गये मुआवजा के सम्बन्ध में दिनांक 28.08.2017 को अन्तिम अवार्ड जारी किया गया और सक्षम अधिकारी एवं अति. जिला जिला कलक्टर, सूरतगढ को इस आदेश के तहत सम्बन्धित व्यक्तियों की अवाप्त की गई भूमि के सम्बन्ध में गणना कर मुआवजा राशि दिये जाने के आदेश दिये गये थे। जिसके विरूद्ध इस न्यायालय को किसी प्रकार का सुनवाई करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। अगर प्रार्थी को इस न्यायालय के अन्तिम अवार्ड आदेश दिनांक 28.08.2017 के विरूद्ध कोई आपत्ति/ अप्रसन्नता थी तो वह मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 की धारा 34 के तहत प्रधान सिविल न्यायालय में कार्रवाई करने के लिए स्वतन्त्र है।

चूंकि इस न्यायालय को धारा 34 के तहत किसी प्रकार से अपने द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.08.2017 या उसके निर्देशों में सक्षम प्राधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर,सूरतगढ़ को पारित आदेश दिनांक 01.09.2017 के तहत किसी प्रकार की कार्रवाई करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है, केवल प्रधान सिविल न्यायालय को ही अधिकारिता है। **इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय दिनांक 04.01.2024 सिविल अपील संख्या 8067/2019 अनवानी S.V. SAMUDRAM v/s State of Karnataka & anothers** अवलोकनीय **है जिसमें निम्न प्रकार से तय किया गया है :**

A. Arbitration and Conciliation Act, 1996 - Section 34 - Arbitral award - Jurisdiction to modify - Any court under Section 34 would have no jurisdiction to modify the award.

B. Arbitration and Conciliation Act, 1996 - Section 34 - Any attempt to "modify an award" under Section 34 would amount to "crossing the Lakshman Rekha".

C. Arbitration and Conciliation Act, 1996 - Sections 34 and 37 Arbitral proceedings are per se not comparable to judicial proceedings before the Court.

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.03.18 16:40:04 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

इस न्यायालय को मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 की धारा 34 एवं 37, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.01.2024 एवं उक्त विवेचन के तहत कार्रवाई करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। इसलिए प्रार्थी को इस न्यायालय द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 28.08.2017 एवं उक्त आदेश की पालना में सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 01.09.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय को सुनवाई का कोई क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार न होने के कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण खारिज करने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति सक्षम प्राधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी (एन.एच.) अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ एवं प्रोजेक्ट डायरेक्टर, अधीक्षण अभियंता (एन.एच.), सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत बीकानेर (राजस्थान) को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 05.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(लोक बंधु)
आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.03.18 16:40:04 IST
Reason: SelfAttested